

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

1 अपील संख्या 45 / 2015

पीठासीन अधिकारी

करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 छोटुराम पुत्र सुरजाराम।

2 बिडदुराम पुत्र सुरजाराम समस्त जाति माली निवासीगण चक जोधपुरा
तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।



अपीलांट

बनाम
सत्यमेव जयते

1 मूलचन्द पुत्र पालाराम जाति माली निवासी चक जोधपुरा तहसील
उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

2 रोहिताश पुत्र सुरजाराम।

3 धर्मपाल पुत्र सुरजाराम।

4 जगदीश पुत्र सुरजाराम समस्त जाति माली निवासी चक जोधपुरा
तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

5 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

1/20
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर



अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 04.05.15 द्वारा उपखण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी उनवानी मुकदमा मूलचन्द
बनाम बिडदुराम आदि प्रार्थना पत्र अं. 251 क
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नम्बर 265/14

उपस्थित

1. श्री उम्मेद राज अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोज कुमार वर्मा अधिवक्ता रेस्पोंडेंट

2 अपील संख्या 76/2015

1 नानूराम पुत्र मांगूराम।

2 सुरेश पुत्र मांगूराम।

3 मूलचन्द पुत्र पाला जाति समस्त माली निवासीगण ढाणी सुन्दरी की तन
चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 जगदीश पुत्र सुरजाराम।

2 धर्मपाल पुत्र सुरजाराम।

3 रोहिताश पुत्र सुरजाराम।

4 छोटुराम पुत्र सुरजाराम।

5 बिड़दुराम पुत्र सुरजाराम जाति समस्त माली निवासीगण चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

6 कैलाश पुत्र मांगूराम।

7 राकेश पुत्र मांगूराम।

8 पूर्ण पुत्र मांगूराम जाति समस्त माली निवासीगण ढाणी सुन्दरी की तन चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

9 तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अ.धा. आर.टी.एक्ट 1955 खिलाफ निर्णय
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू
मुकदमा उनवानी जगदीश वगैरह बनाम नानूराम वगैरह
प्रार्थना पत्र अ.धा. 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
मु.नं. 280/2014 आदेश दिनांक 27.05.15

उपस्थित

1. श्री विजयपाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उम्मेद राज सैनी अधिवक्ता रेस्पोंडेंट

—निर्णय—

दिनांक:— 07.09.2018

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्थान अपील अधिकारी

यह दोनो अपीले विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा प्रकरण संख्या 265/2014 में पारित निर्णय दिनांक 04.05.2015 एवं प्रकरण संख्या 280/2014 में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2015 के विरुद्ध पृथक पृथक प्रस्तुत की गई है दोनो अपीलों के पक्षकार एवं तथ्य समान होने के कारण दोनो अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। दोनों पत्रावलियों में निर्णय पृथक पृथक रखा जाये।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोंडेंट संख्या एक मूलचन्द ने खसरा नम्बर 298 एवं 297 में रास्ते की मांग की जिसे विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय दिनांक 04.05.2015 से स्वीकार कर लिया है इससे व्यथित होकर अपील संख्या 45/2015 पेश की गई है। इसी प्रकार रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 5 जगदीश, धर्मपाल, रोहिताश, छोटु एवं बिडदु ने खसरा नम्बर 304 में से रास्ते की मांग की विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय दिनांक 27.05.2015 से स्वीकार कर लिया है इससे व्यथित होकर अपील संख्या 76/2015 पेश की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 299 में अपीलांट खसरा नम्बर 298 के दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे पुराना रास्ता जो काफी लम्बे समय से चला आ रहा है उसमें से होकर आवाजाही करते हैं इस मौका रिपोर्ट से रेस्पोंडेंट संख्या 1 का कथन मिथ्या साबित होता है कि रेस्पोंडेंट के पास खसरा नम्बर 299 में आने जाने के लिए कोई रास्ता न हो रेस्पोंडेंट संख्या 1 खसरा नम्बर 298,299,304 की सीवों के सहारे से रास्ते का उपयोग उपभोग कर्ता चला आ रहा है विचारण न्यायालय को उक्त दोनो प्रार्थना पत्रों को इकजाही कर निर्णय हेतु निवेदन भी किया गया था परन्तु विचारण न्यायालय ने इस पर गौर नहीं कर मन माना निर्णय पारित किया गया है जो खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विवादित भूमि पर RAA सीकर की अदालत से स्थगन होने का उल्लेख किया गया है जिस पर विचार नहीं कर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक भूल की है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 5 द्वारा



मांगे बिना खसरा नम्बर 304 से रास्ता देकर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 304 की वस्तु स्थिति की जांच किये बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 68,69,70 की पालना नहीं कि गई है काश्तकार की सुविधा के लिए नये रास्ते का निर्माण नहीं हो सकता है विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया। अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2013 पेज 835 आर.एल. डब्ल्यू 2017 (1) पेज 541 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 251ए के प्रावधानों की प्रति प्रस्तुत की है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया का पालन कर उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त गुणागुण पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 251ए के प्रावधानों के अनुरूप विचाराधीन निर्णय पारित किये है अतः दोनों अपीले सारहीन होने से खारिज की जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा निवेदन किया गया था कि दोनों पत्रावलियों में चाहे गये रास्ते परस्पर नजदीक है पक्षकार सम्मान है अतः दोनों पत्रावलियों को इकजाही कर निर्णय पारित किया जाये पर विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई विवेचन नहीं किया है विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को भी विवेचित नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन दोनों निर्णय विधि सम्मत नहीं माने जा सकते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले स्वीकार की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन दोनों निर्णय अपास्त किये जाते है एवं दोनों प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किये जाते है कि दोनों प्रकरणों को इकजाही करे दोनों प्रकरणों के पक्षकारों की उपस्थिति में तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका रिपोर्ट ली जाये

LAW
 प्रमुख अधिकारी
 पदेन राजस्थान अपील अधिकारी

दोनों प्रकरणों के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर बाद सुनवाई गुणागुण पर पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय में दिनांक 08.10.2018 को उपस्थिति दें।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(^{6/10}करस्तार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

